कार्यालय उ0प्र0 सूचना आयोग, RTI भवन, विभूति खण्ड, लखनऊ

पत्रांक: 12०/उ0प्र0सू0आ0/रजिस्ट्रार/1(1)/2018 दिनांक: 11 जून 2018

कार्यालय आदेश

उ0प्र0 सूचना का अधिकार नियमावली, 2015 के नियम 9(2) में यह प्राविधानित है कि जिस जन सूचना अधिकारी के विरुद्ध शिकायत या अपील दायर की गयी है वह स्वेच्छा से सुनवाई के दौरान उपस्थित रह सकता है। किन्तु आयोग अपने विवेकानुसार जन सूचना अधिकारी को व्यक्तिगत् रूप से अथवा यथोचित वरिष्ठता के उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि को, सुनवाई के दौरान उपस्थित रहने हेतु निर्देशित कर सकता है।

आयोग के समक्ष यह तथ्य प्रकट हुआ है कि विभिन्न विभागों, प्राधिकरणों अथवा अन्य संस्थाओं के द्वारा आयोग में चल रही सुनवाई में उपस्थित रहने हेतु प्रतिनिधि नामित किये जाते हैं, कि कतिपय मामलों में ऐसे प्रतिनिधियों को निर्गत प्राधिकार पत्र अत्यन्त पुराने हैं, और उन्हीं के आधार पर उपर्युक्त प्रतिनिधिगण शिकायतों/अपीलों की सुनवाई में उपस्थित होते हैं। इससे यह सम्भावना बनी रहती है कि अंतरिम अवधि में सम्बन्धित विभाग/प्राधिकरण/संस्था द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को अपीलों/शिकायतों की सुनवाई में भाग लेने हेतु प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया गया हो तथा आयोग के समक्ष उपस्थित व्यक्ति विभाग/प्राधिकरण/संस्था का प्रतिनिधि ही न रहा हो।

उपुर्यक्त को दृष्टिगत् रखते हुए यह निर्देशित किया जाता है कि सुनवाई कक्ष में अथवा प्रतिलिपि अनुभाग में जब किसी व्यक्ति के द्वारा किसी विभाग/प्राधिकरण/संस्था का प्राधिकार पत्र प्रस्तुत किया जायेगा, तब संबंधित सुनवाई कक्ष अथवा प्रतिलिपि अनुभाग के कर्मचारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त प्राधिकार पत्र निर्गत किये जाने की तिथि, प्राधिकार पत्र को आयोग में प्रस्तुत किये जाने की तिथि से एक वर्ष से अधिक पूर्व की न हो। यदि प्राधिकार पत्र निर्गत किये जाने की तिथि, प्राधिकार पत्र प्रस्तुत करने की तिथि से एक वर्ष से अधिक पूर्व की हो, तो सम्बन्धित व्यक्ति को नवीनीकृत प्राधिकार पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करने का परामर्श दिया जाये।

यदि किसी प्रकरण में किसी विभाग/प्राधिकरण/संस्था द्वारा प्रदत्त प्राधिकार पत्र पत्रावली पर पहले से मौजूद है तो, सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्राधिकार पत्र एक वर्ष से अधिक पुराना तो नहीं है, व यदि प्राधिकार पत्र एक वर्ष से अधिक पूराना है तो सम्बन्धित व्यक्ति को निर्देशित किया जायेगा कि वह नवीनीकृत प्राधिकार पत्र प्राप्त कर आयोग को उपलब्ध करायें।

(जितेन्द्र मिश्रा)
रजिस्ट्रार

1) प्रतिलिपि निजी सचिव, मा0 मुख्य सूचना आयुक्त को इस आशय से कि इस आदेश की प्रति मा0 मुख्य सूचना आयुक्त महोदय के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत करें।
2) प्रतिलिपि निजी सचिव, मा0 राज्य सूचना आयुक्तगण को इस आशय से कि इस आदेश की प्रति मा0 राज्य सूचना आयुक्त महोदय के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत करें।

(जितेन्द्र मिश्रा)
रजिस्ट्रार